**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1475**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**जे॰एस॰ वर्मा समिति की सिफारिशें**

**1475. श्री पी॰ एल॰ पुनियाः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के संबंध् में न्यायाधीश जे॰एस॰ वर्मा समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) उक्त सिफारिशों में से कौन-कौन सी सिफारिशों को लागू किया जा चुका है और कौन-कौन सी सिफारिशों का लागू किया जाना बाकी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) न्यायाधीश जे॰एस॰ वर्मा समिति की शेष सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) से (ग): महिलाओं के प्रति गंभीर प्रकृति का यौन हमला करने वाले अपराधियों के शीघ्र विचारण और उनके लिए सजा में वृद्धि का प्रावधान करने हेतु दंड विधि में संभावित संशोधनों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने दिनांक 23.01.2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करने के इरादे से महिलाओं पर हमले अथवा आपराधिक बल के प्रयोग; घूरने; पीछा करने; और बलात्कार से संबंधित दांडिक कानूनों (भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) में पहले ही विभिन्न संशोधन किए हैं।

इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसरण में, घरेलू नौकरों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के दायरे में शामिल किया गया था।

\*\*\*\*\*\*\*